पत्रांकः: जी.एस.टी./2019–20/ 18190016 / 134/वाणिज्य कर

कार्यालय– कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।
(जी.एस.टी. अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 15 मई, 2019

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0),
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/कॉर्पोरेट/वि0अनु0शा0),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति संख्या– 3/2019–केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 29.03.2019 द्वारा कन्सट्रक्शन सेवाओं में कर की दरों में संशोधन किया गया है। प्रश्नगत विज्ञप्ति के क्रमांक– II(a) के टेबल में बिन्दु सं0– (ie) तथा (if) में विशिष्ट दरों पर कर के भुगतान हेतु पूर्व से जारी प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में पंजीकृत व्यापारियों को अनुलग्नक–IV में (प्रतिलिपि संलग्न) में विकल्प दिनांक 10.05.2019 तक प्रस्तुत किया जाना था तथा अब यह तिथि विज्ञप्ति सं0– 10/2019–केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 10.05.2019 द्वारा बढ़ाकर दिनांक 20.05.2019 कर दी गयी है। अनुलग्नक– IV के फॉर्म में यह विकल्प सम्बन्धित ज्यूरिस्डिक्शनल कमिश्नर को सम्बोधित करते हुए प्रस्तुत किया जाना है, किन्तु मुख्यालय पर इस आशय की सूचना प्राप्त हुयी है कि राज्य के नियन्त्रण वाले व्यापारियों द्वारा यह विकल्प फॉर्म कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित करते हुए सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा रहा है। अपितु विकल्प मुख्यालय पर प्राप्त कराने को कहा जा रहा है।

यह स्थिति उचित नहीं है। कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित विकल्प प्रार्थना पत्र सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्राप्त करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उक्त के सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।